A

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस

अपील संख्या 01/2020

सुभाष पुत्र माडूराम, जाति जाट, निवासी मालीगांव, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार चिडावा आदेश दिनांक 27.08.2019 उनवानी सरकार बनाम सुभाष मु0न0 8/2019 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र फोगाट एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.08.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 27.08.2020 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– अदालत मातहत ने पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट भूमि ख0न0 166 रकबा 1.00 है0 गै0मु0 रास्ता पर 0.01 है0 पर वाके ग्राम मालीगांव तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बिना कोई मौके की जांच किये है। मात्र राजनैतिक दबाब मे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट के खिलाफ अ0धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। परन्तु अदालत मातहत ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर गलत रूप से अपीलान्ट को नोटिस जारी किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जाना जाहिर किया है परन्तु अपीलान्ट की व्यक्तिगत तामिल नही होने के बावजूद भी तामिल मान ली गई और पत्रावली दिनांक 27.8.2019 को वास्ते आदेश नियत की गयी। जबकि कानूनन अदालत मातहत द्वारा हल्का पटवारी के बयान अदालत मातहत मे दर्ज कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की तायद करवानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार की सुनवाई व साक्ष्य के निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था। परन्तु बिना किसी गवाह के हस्ताक्षर के अपीलान्ट की तामिल मान कर गैर हाजिरी दर्ज कर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है और जिन्होने अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की है। मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाये निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 27.08.2019 है जिसकी जानकारी प्रार्थी को

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 15.12.2019 को मिली और नकल मिलने पर तुरन्त अपना वकील मुकर्रर कर अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद है। फिर भी किसी कारण से अपील अन्दर मियाद नही मानी जाती है तो अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 27.08.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार की सुनवाई व साक्ष्य के निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था। परन्तु बिना किसी गवाह के हस्ताक्षर के अपीलान्ट की तामिल मान कर गैर हाजिरी दर्ज कर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है और जिन्होने अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की है। मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.08.2020 को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने तारबन्दी अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम मालीगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 166 कुल रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में 0.01 हैक्टर का अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि ख0न0 166 के सटकर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण न होकर अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण है। जिसकी जांच करवाई ली जावे। ऐसी स्थिति मे हम अतिक्रमित भूमि के नजदीक अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है अथवा नही की जांच करवाई जाना उचित समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत विवादित भूमि के सटकर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है अथवा नही की जांच करें। अगर अतिक्रमित भूमि के पास अपीलान्ट की जमीन है तो मौके पर पैमाईश नायब तहसीलदार से करवायें तथा पुनः नोटिस जारी कर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुन्झुनू